डिस्कलेमर

आदेश संख्या 13/2026-27 के पृष्ठ संख्या 1 से 5 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

आदेश संख्या 13/2026-27

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003.

जारी करने की तारीख : 31.07.2026

सेवा	:	**फ्यूल फार्म और इंटो प्लेन सेवाएं**
सेवा प्रदाता	:	**हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)**
हवाईअड्डा	:	**भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा**
हवाईअड्डा प्रचालक	:	**जीएमआर विशाखापट्नम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड/ (जीवीआईएएल)**

विषय: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली फ्यूल फार्म और इंटो प्लेन सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 31.03.2027 तक तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में।

एचपीसीएल की प्रस्तुति :

1. मैसर्स जीएमआर विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीवीआईएएल) को भोगापुरम में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए रियायत दी गई थी और आंध्र प्रदेश एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीएडीसीएल) तथा जीवीआईएएल के बीच 12 जून, 2020 को रियायत करार किया गया था। इसके बाद जीवीआईएएल (हवाईअड्डा प्रचालक) ने भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर फ्यूल फार्म और 'इंटो प्लेन' (आईटीपी) सुविधाओं के विकास, प्रचालन और रख-रखाव के लिए मैसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को नियत तारीख से बीस (20) वर्ष की अवधि के लिए रियायत प्रदान की। हवाईअड्डा प्रचालक और एचपीसीएल (आईएसपी) ने 22.07.2024 को उपर्युक्त रियायत करार किया है।

2. एचपीसीएल ने बताया कि दिनांक 22 जुलाई, 2024 के रियायत करार के अनुसार, वे हवाईअड्डे पर 'ओपन एक्सेस' (निर्बाध प्रवेश) के आधार पर आवश्यक फ्यूल फ़ार्म और 'इंटो-प्लेन' अवसरंचना और सुविधाएँ तैयार कर रहे हैं। आईएसपी ने बताया कि उन्हें आशा है कि वे हवाईअड्डे का प्रचालन प्रारंभ होने की तारीख के अनुरूप जुलाई, 2026 में वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर देंगे।

3. एचपीसीएल ने दिनांक 09.06.2026 के पत्र के माध्यम से भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अपनी प्रस्तावित फ्यूल फ़ार्म और 'इंटो प्लेन' सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ़ निर्धारित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण को प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए दो अलग-अलग एमवाईटीपी प्रस्तुत किए।

अपने एमवाईटीपी के भाग के रूप में आईएसपी ने इस प्रकार जानकारी दी: -

(i) एचपीसीएल भोगापुरम हवाईअड्डे पर सुरक्षित, कुशल और भरोसेमंद तरीके से ईंधन प्रबंधन सुनिश्चित करने और विमान में पुन: ईंधन भरने के कार्यों को करने के लिए निम्नलिखित मुख्य अवसंरचना, उपकरण और प्रणालियों की व्यवस्था कर रही है:

(क) - फ्यूल फार्म सेवाओं के लिए

(i) एटीएफ टेंक

विवरण	मात्रा
2,700 किलोलीटर क्षमता वाले टेंक- जमीन से ऊपर	3
90 किलोलीटर अंडर ग्राउंड टेंक	2
45 किलोलीटर अंडरग्राउंड टेंक	1
12 किलोलीटर अंडरग्राउंड टेंक	1
30 किलोलीटर क्षमता वाले टेंक- जमीन से ऊपर	2

(ii) एटीएफ पंपों का संक्षिप्त विवरण

विवरण	रेटिंग/ क्षमता	प्रवाह दर (m^3/hr)	मात्रा
एफटीएफ हाईड्रेंट पंप	180 किलोवाट	275	3
एटीएफ अनलोडिंग पंप	35 किलोवाट	120	2
अंडर ग्राउंड टेंक -एटीएफ	15 किलोवाट	40	3
बंड टेंक	7.50 वाट	20	2

(ख) आईटीपी सेवाओं के लिए :

विवरण	मात्रा
3800 एलपीएम – हाईड्रेंट डिसपेंसर	8
16 किलोलीटर – एयरक्राफ्ट रिफ्यूलर	3

(ii) भोगापुरम हवाईअड्डे पर फ्यूल फ़ार्म और 'इंटो-प्लेन' सुविधाओं और सेवाओं के लिए एचपीसीएल ने प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान कुल 202.14 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) वहन करने का प्रस्ताव दिया है (इसमें से 179.72 करोड़ रुपये फ्यूल फ़ार्म सुविधा के लिए और 22.42 करोड़ रुपये आईटीपी अवसंरचना के लिए हैं)।

(iii) आईएसपी ने आंध्र प्रदेश के भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए फ्यूल थ्रू-पुट मात्रा का अनुमान इस प्रकार लगाया है:

विवरण	**वित्त वर्ष 2026-27**	**वित्त वर्ष 2027-28**	**वित्त वर्ष 2028-29**	**वित्त वर्ष 2029-30**	**वित्त वर्ष 2030-31**
फ्यूल थ्रू-पुट (किलोलीटर में)	72,796	1,11,550	1,26,493	1,41,892	1,60,399

(iv) एचपीसीएल और जीवीआईएएल के बीच हुए रियायत करार (सीए) के अनुसार, आईएसपी को हर वित्त वर्ष में हवाईअड्डा प्रचालक को आईटीपी सेवाओं से होने वाले कुल राजस्व की 5% और फ्यूल फार्म सेवाओं से होने वाले कुल राजस्व की 46.3% राशि शेयर के तौर पर देनी होगी।

4. एचपीसीएल ने अपने एमवाईटीपी के आधार पर, प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31) के लिए फ्यूल फ़ार्म और आईटीपी सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित टैरिफ़ का प्रस्ताव किया है:

(क) फ्यूल फार्म सुविधा – ईंधन अवसंरचना प्रभार (एफआईसी)

अवधि	**दर प्रति किलोलीटर में ₹**
1 जुलाई, 2026 से 31.03.2031 तक	5978.18

(ख) इंटो प्लेन सुविधा – इंटो प्लेन प्रभार (1 जुलाई, 2026 से 31.03.2031 तक)

(दर प्रति किलोलीटर में ₹)

विमान में ईंधन भरना	**विमान का ईंधन खाली करना**		**विमान से खाली किए गए ईंधन को पुन: विमान में भरना**	
	6 घंटे के भीतर	6 घंटे के बाद	6 घंटे के भीतर	6 घंटे के बाद
1016.40	1016.40	1116.40	1016.40	1116.40

प्राधिकरण द्वारा एचपीसीएल के अनुरोध की जांच :

5. प्राधिकरण ने नोट किया है कि हवाईअड्डा प्रचालक (जीवीआईएएल) ने बोली प्रक्रिया के माध्यम से एचपीसीएल को आंध्र प्रदेश के भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर बीस (20) वर्ष की अवधि के लिए फ्यूल फ़ार्म और 'इंटो प्लेन' सुविधाएँ और सेवाएँ देने के लिए रियायत दी है। यह अवधि वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से लागू होगी।

6. प्राधिकरण ने दिनांक 17.06.2026 की ईमेल के माध्यम से एचपीसीएल से भोगापुरम हवाईअड्डे पर प्रस्तावित फ्यूल फ़ार्म और 'इंटो प्लेन' (आईटीपी) सेवाओं के लिए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। ऐरा के प्रश्न के उत्तर में आईएसपी ने बताया कि उन्होंने आवश्यक अनुमोदन के लिए आवेदन किया है और संबंधित प्राधिकरणों से ये अनुमोदन समय पर मिलने की आशा है।

7. प्राधिकरण प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31) के लिए फ्यूल फ़ार्म और आईटीपी सेवाओं के नियमित टैरिफ़ निर्धारित करने के उद्देश्य से एचपीसीएल द्वारा प्रस्तुत किए गए एमवाईटीपी पर काम कर रही है। वैमानिक टैरिफ़ निर्धारित करने के लिए ऐरा की विनियामक पद्धति बहुत विस्तृत है। इसमें विनियामक बिल्डिंग ब्लॉक की समीक्षा और कैपेक्स, ओपेक्स, यातायात की मात्रा इत्यादि से जुड़े अलग-अलग लागत अनुमानों/पूर्वानुमानों के संबंध में उपयुक्ता/औचित्य का विश्लेषण शामिल है। इसके आधार पर परामर्श पत्र जारी किया है, इसके पश्चात हितधारकों से परामर्श किया जाता है। हितधारक परामर्श की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, सेवा प्रदाता के लिए टैरिफ़ आदेश को अंतिम रूप देकर जारी किया जाता है। इसमें हितधारकों की टिप्पणियों/विचारों और सेवा प्रदाता की जवाबी टिप्पणियों पर भी विचार किया जाता है। तदनुसार, आईएसपी के फ्यूल फ़ार्म और आईटीपी सेवाओं के लिए टैरिफ़ निर्धारित करने की उचित प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा।

8. प्राधिकरण ने फ्यूल फ़ार्म और 'इंटो-प्लेन' सेवाओं के लिए टैरिफ़ निर्धारित करने के उद्देश्य से आईएसपी की प्रस्तुति का प्रारंभिक विश्लेषण और समीक्षा की है। एमवाईटीपी की सरसरी तौर पर समीक्षा और आईएसपी द्वारा प्रस्तावित टैरिफ़ की अन्य ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डों, जैसे मोपा, गोवा और नोएडा हवाईअड्डा, जेवर पर लागू टैरिफ़ (फ्यूल फ़ार्म और इंटो-प्लेन सेवाओं के लिए) से तुलना करने पर यह पता चलता है कि प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एचपीसीएल द्वारा एफआईसी और 'इंटो-प्लेन' प्रभार के रूप में सुझाई गई टैरिफ़ उपर्युक्त पैरा 4 में बताए अनुसार काफ़ी अधिक हैं। इसलिए, ऐरा टैरिफ़ निर्धारित करने की प्रक्रिया के भाग के रूप में और अपने मौजूदा टैरिफ़ दिशा-निर्देश के अनुसार, हर विनियामक बिल्डिंग ब्लॉक का ब्यौरेवार विश्लेषण करेगा। इसमें अनुमानित कैपेक्स, ओपेक्स आदि की आवश्यकता और औचित्य की समीक्षा के साथ-साथ एचपीसीएल द्वारा अपने एमवाईटीपी की प्रस्तुति में दिए गए अन्य पूर्वानुमानों और लागत आकलनों की समीक्षा भी शामिल होगी।

9. इस बीच, भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एचपीसीएल के जल्द ही प्रारंभ होने वाले प्रस्तावित वाणिज्यिक प्रचालनों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने एक अंतरिम उपाय के तौर पर आईएसपी के ईंधन अवसंरचना प्रभार और आईटीपी सेवा प्रभारों के लिए 'तदर्थ टैरिफ' मानने का निर्णय लिया है, जैसा कि संलग्नक-I में बताया गया है। प्राधिकरण द्वारा फ्यूल फार्म और 'इंटो-प्लेन' (आईटीपी) सेवाओं के लिए निर्धारित की गई तदर्थ टैरिफ, मोपा, गोवा और नोएडा के अन्य ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों पर इसी प्रकार की सेवाओं के लिए लागू टैरिफ की तुलना के आधार पर है।

10. इसके अतिरिक्त यदि प्राधिकरण "लागत प्लस" विनियामक पद्धति के अंतर्गत प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए आईएसपी के लिए फ्यूल फ़ार्म और आईटीपी सेवाओं से संबंधित नियमित टैरिफ निर्धारित करने का निर्णय लेता है, तो ऐरा प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए आईएसपी के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) और नियमित टैरिफ़ को निर्धारित करते समय, अंतरिम अवधि (तदर्थ टैरिफ़ लागू रहने के दौरान) से संबंधित राजस्व, व्यय आदि पर उचित रूप से विचार करेगा।

11. भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आईएसपी की प्रस्तावित फ्यूल फ़ार्म और आईटीपी सेवाओं के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई तदर्थ टैरिफ (जैसा कि संलग्नक-I में बताया गया है) सीओडी से 31.03.2027 तक, या एचपीसीएल के लिए फ्यूल फ़ार्म और इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाओं के नियमित टैरिफ़ के निर्धारित होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, लागू रहेगी।

आदेश

प्राधिकरण इसके समक्ष रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) एचपीसीएल को भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर (संलग्नक-I के अनुसार) वाणिज्यक प्रचालन की तारीख से 31.03.2027 तक या आईएसपी के लिए इसकी प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ के निर्धारण तक, जो भी पहले हो, फ्यूल फार्म और इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाओं के लिए तदर्थ आधार पर टैरिफ वसूल और संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) यह आदेश एचपीसीएल द्वारा भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर फ्यूल फार्म सेवाओं और इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाओं से संबंधित इसके वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होने से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों से सभी अपेक्षित विनियामक/ सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने की शर्त पर प्रभावी होगा।

(iii) इसमें निर्धारित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूले जा सकने वाले अधिकतम प्रभार होंगे और अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा।

(iv) ऊपर बताए अनुसार, अनुमोदित टैरिफ में सभी लागू सरकारी कर शामिल नहीं हैं।

(v) हवाईअड्डा प्रचालक, भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आईएसपी की फ्यूल-फार्म और आईटीपी सेवाओं के संबंध में आईएसपी के लिए अनुमोदित इस तदर्थ टैरिफ को सभी हितधारकों की सूचना के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

(vi) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवा में,

श्री दिनेश खन्ना,
उप महाप्रबंधक -विमानन,
हिंदुस्तार पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
एविएशन एसपीयू, एचक्यूओ
हिंदुस्तार भवन, मुम्बई -400020

प्रतिलिपि सूचनार्थ

1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110003
2) कंवरबीर सिंह कालरा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जीएमआर विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड